

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 142]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 29 मार्च 2012—चैत्र 9, शक 1934

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2012

क्र. 8746-वि.स.-विधान-2012.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 64 के उपबंधों के पालन में मध्यप्रदेश (वेट) (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 11 सन् 2012) जो विधान सभा में दिनांक 28 मार्च 2012 को पुरःस्थापित हुआ है, जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ११ सन् २०१२

मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, २०१२

विषय-सूची.

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.
२. वृहत् शीर्ष का संशोधन
३. धारा ३ का संशोधन.
४. धारा ४-क का संशोधन.
५. धारा ४-ख का संशोधन.
६. धारा ५ का संशोधन.
७. धारा ६ का संशोधन.
८. धारा ९-ख का संशोधन.
९. धारा ९-ग का अंतःस्थापन.
१०. धारा १० का संशोधन.
११. धारा ११ का संशोधन.
१२. धारा ११-क का संशोधन.
१३. धारा १४ का संशोधन.
१४. धारा १७ का संशोधन.
१५. धारा १८ का संशोधन.
१६. धारा २० का संशोधन.
१७. धारा २४ का संशोधन.
१८. धारा २८ का संशोधन.
१९. धारा ४३ का संशोधन.
२०. धारा ४६ का संशोधन.
२१. धारा ४७ का संशोधन.
२२. धारा ५३ का संशोधन.
२३. धारा ५७ का संशोधन.
२४. धारा ७० का संशोधन.
२५. धारा ७१ का संशोधन.
२६. अनुसूची १ का संशोधन.
२७. अनुसूची २ का संशोधन.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ११ सन् २०१२

मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, २०१२

मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ को और संशोधित करने हेतु विधेयक

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१२ है.

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

(२) (क) इस संशोधन अधिनियम की धारा १३ के खण्ड (छह) के उपबंध १ अगस्त, २००९ से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे;

(ख) इस संशोधन अधिनियम की धारा २६ के खण्ड (चार) के उपबंध १ अप्रैल, २००६ से ३१ मार्च, २००७ तक प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे;

(ग) इस संशोधन अधिनियम के शेष उपबंध १ अप्रैल, २०१२ से प्रवृत्त होंगे.

२. मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) के वृहत् शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित वृहत् शीर्ष स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

वृहत् शीर्ष का संशोधन.

“मध्यप्रदेश राज्य में माल के विक्रय तथा क्रय पर कर, भवनों पर कर और सड़क द्वारा ले जाए जाने वाले माल पर कर के उद्ग्रहण हेतु अधिनियम”

३. मूल अधिनियम की धारा ३ में,—

धारा ३ का संशोधन.

(एक) उपधारा (१) में,—

(क) खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किए जाएं, अर्थात्:—

“(क) विशेष आयुक्त, वाणिज्यिक कर;

(क क) संचालक, वाणिज्यिक कर;”;

(ख) खण्ड (च) में, शब्द “और” का लोप किया जाए एवं खण्ड (छ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किए जाएं, अर्थात्:—

“(छ) निरीक्षक, वाणिज्यिक कर; और

(ज) कराधान सहायक.”

(दो) उपधारा (२) में, शब्द “आयुक्त वाणिज्यिक कर” के स्थान पर, शब्द “आयुक्त वाणिज्यिक कर, विशेष आयुक्त, वाणिज्यिक कर” स्थापित किये जाएं; और

(तीन) उपधारा (३) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

“(३) आयुक्त, वाणिज्यिक कर, विशेष आयुक्त, वाणिज्यिक कर, संचालक, वाणिज्यिक कर तथा अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर सम्पूर्ण राज्य में उन समस्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा उन समस्त कर्तव्यों का पालन करेंगे जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन आयुक्त को प्रदत्त की गई हैं या उस पर अधिरोपित किए गए हैं और इस प्रयोजन के लिए इस अधिनियम में, आयुक्त के प्रति किये गये किसी भी निर्देश का यही अर्थ लगाया जाएगा कि वह विशेष आयुक्त, वाणिज्यिक कर, संचालक, वाणिज्यिक कर तथा अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर के प्रति किए गए निर्देश हैं.”

धारा ४-क का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा ४-क में, उपधारा (३) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

- (३) धारा ४६ की उपधारा (६) के अधीन आवेदन पर, अपील बोर्ड, व्यापारी द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन के गुणदोष पर विचार करने के पश्चात् ऐसे आदेश की तारीख से तीन सौ पैंसठ दिवस की कालावधि के लिए स्थगन आदेश पारित कर सकेगा और अपील बोर्ड, उस आदेश में विनिर्दिष्ट स्थगन की उक्त कालावधि के भीतर अपील का निपटारा करेगा:

परन्तु जहां ऐसी अपील का निपटारा स्थगन आदेश में विनिर्दिष्ट स्थगन की उक्त कालावधि के भीतर नहीं किया जाता है, वहां अपील बोर्ड, व्यापारी द्वारा इस निमित्त प्रस्तुत किए गए आवेदन पर और यह समाधान हो जाने पर कि अपील के निपटारे में विलम्ब व्यापारी के कारण नहीं हुआ है, स्थगन की कालावधि में अपील का विनिश्चय होने तक वृद्धि कर सकेगा.”

धारा ४-ख का संशोधन.

५. मूल अधिनियम की धारा ४-ख में, उपधारा (३) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

- “(३) एकल रूप में सुनवाई कर रहा अपील बोर्ड का अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य किसी प्रकरण में जो ऐसे व्यापारी से संबंधित हो जिसकी कर, ब्याज और/या शास्ति की कुल राशि, जैसी कि प्रकरण में कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा गणना की गई हो, एक लाख रुपये से अधिक न हो, का निपटारा कर सकेगा और अध्यक्ष, किसी विशेष प्रकरण के निपटारे के लिये तीन या अधिक सदस्यों से मिलकर बनने वाली विशेष पीठ गठित कर सकेगा जिसमें आवश्यक रूप से एक न्यायिक सदस्य और एक लेखापाल सदस्य होगा.”

धारा ५ का संशोधन.

६. मूल अधिनियम की धारा ५ में, उपधारा (२) में, शब्द “उक्त उपधारा के अधीन” का लोप किया जाए.

धारा ६ का संशोधन.

७. मूल अधिनियम की धारा ६ में, उपधारा (१) में, शब्द “बारह मास” के स्थान पर, शब्द, “बारह कैलेण्डर मास” स्थापित किए जाएं.

धारा ९-ख का संशोधन.

८. मूल अधिनियम की धारा ९-ख में,—

- (एक) उपधारा (४) में, शब्द और अंक “भाग ३” के स्थान पर, शब्द, अंक और अक्षर “भाग ३ और भाग ३ क” स्थापित किए जाएं;

- (दो) उपधारा (५) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और उसके पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात्:—

“परन्तु माल का क्रय मूल्य, जिस पर क्रय करते समय अधिनियम के अधीन कर का भुगतान कर दिया गया है और ऐसे क्रय पर कोई आगत कर रिबेट अनुज्ञेय नहीं है, भवन के पूंजीगत मूल्य से कम कर दिया जाएगा.”

धारा ९-ग का अंतःस्थापन.

९. मूल अधिनियम की धारा ९-ख के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्:—

“९-ग. सड़क मार्ग द्वारा ले जाए गए माल पर कर.

१. (क) प्रत्येक परिवहनकर्ता मध्यप्रदेश राज्य में सड़क मार्ग द्वारा ले जाए जाने वाले ऐसे माल पर कर के, जिसे कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, भुगतान का दायी होगा :

परन्तु किसी व्यापारी या किसी भवन निर्माता, जो मध्यप्रदेश राज्य के अंदर या बाहर कारबार करता हो, से भिन्न किसी ऐसे व्यक्ति के माल के संबंध में कोई कर देय नहीं होगा।

(ख) खण्ड (क) के अधीन अधिसूचित माल की तत्स्थानी प्रविष्टि के सामने अनुसूची-२ के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट दर से भाड़े पर कर उद्ग्रहणीय होगा।

(ग) जहां कोई भाड़ा प्रभारित नहीं किया गया है, या केवल नाम मात्र का भाड़ा प्रभारित किया गया है, वहां मार्ग पर प्रचलित सामान्य भाड़े पर कर उद्ग्रहणीय होगा।

(घ) जहां माल, माल के स्वामी के स्वामित्व के किसी मोटरयान द्वारा ले जाया जाता है, वहां मार्ग पर प्रचलित सामान्य भाड़े पर कर उद्ग्रहणीय होगा।

(ङ) जहां माल, किसी मोटरयान द्वारा राज्य के बाहर किसी स्थान से राज्य के भीतर किसी स्थान को या राज्य के भीतर किसी स्थान से राज्य के बाहर किसी स्थान को या राज्य के बाहर किसी स्थान से राज्य के बाहर किसी अन्य स्थान को किन्तु राज्य से होकर या राज्य के भीतर किसी स्थान से राज्य के भीतर किसी अन्य स्थान को किन्तु अन्य राज्य के बीच में आने वाले क्षेत्र से होकर किया जाता है, वहां राज्य के भीतर तय की गई दूरी से संबंधित भाड़े पर कर देय होगा।

(च) माल ले जाने वाले यान का प्रभारी व्यक्ति अपने साथ परिवहनकर्ता द्वारा विहित प्ररूप में जारी की गई रसीद रखेगा।

२. उपधारा (१) के अधीन कर के भुगतान का दायी प्रत्येक परिवहनकर्ता ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाए, स्वयं को रजिस्ट्रीकृत कराएगा :

परन्तु यदि परिवहनकर्ता, ले जाए जा रहे माल का, धारा १७ के अधीन रजिस्ट्रीकृत या धारा ९-ख के अधीन तालिकांकित (एनरोल्ड) स्वामी है, तो ऐसे परिवहनकर्ता से इस उपधारा के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

३. (क) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी या कोई तालिकांकित (एनरोल्ड) भवन निर्माता जो अपना माल किसी परिवहनकर्ता से, उसे उपधारा (१) के अधीन कर का भुगतान करने के पश्चात् पहुंचाता है, तो ऐसे कर की राशि की रिबेट का दावा करेगा या ऐसी रीति में तथा ऐसी कालावधि के भीतर करेगा, उसे ऐसा करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, जैसी कि विहित की जाए।

(ख) खण्ड (क) के अधीन रिबेट केवल ऐसे माल जिसका मध्यप्रदेश राज्य के भीतर या अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के अनुक्रम में या भारत राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में विक्रय किया जाता है, या ऐसे माल से जिसका माल के विनिर्माण या प्रसंस्करण में उपभोग किया गया हो तथा इस प्रकार निर्मित या प्रसंस्कृत माल का मध्यप्रदेश राज्य के भीतर या अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के अनुक्रम में या भारत राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में विक्रय किया जाता है, या जिसका किसी भवन के विनिर्माण में उपभोग किया जाता है और इस प्रकार निर्मित भवन पर धारा ९-ख के अधीन कर भुगतान किया जाता है, संबंधित भाड़े पर कर के संबंध में दावा किया जाएगा या अनुज्ञात किया जाएगा।

(ग) खण्ड (क) के अधीन रिबेट का दावा केवल ऐसे भाड़े पर कर के संबंध में किया जाएगा या अनुज्ञात किया जाएगा, जो मध्यप्रदेश राज्य के भीतर या अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के अनुक्रम में या भारत राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में विक्रय किए गए माल के विक्रय मूल्य का भाग है।

- (४) (क) अधिसूचित माल का प्रत्येक परेषक या परेषिती जो धारा १७ के अधीन कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी है, या धारा ९-ख के अधीन तालिकांकित (एनरोलड) कोई भवन निर्माता है, द्वारा परिवहनकर्ता को माल पहुंचाने के लिये देय रकम में से उपधारा (१) के अधीन देय कर की कटौती करेगा।
- (ख) खण्ड (क) के अधीन रकम की कटौती करने पर, रजिस्ट्रीकृत व्यापारी या तालिकांकित (एनरोलड) भवन निर्माता, परिवहनकर्ता को कर की कटौती का एक प्रमाण-पत्र ऐसे प्ररूप तथा रीति में, जैसी कि विहित की जाए, जारी करेगा।
- (ग) कर की कटौती का प्रमाण-पत्र, परिवहनकर्ता के ऐसे संव्यवहार के संबंध में देय कर के दायित्व का अच्छा और पर्याप्त उन्मोचन होगा और इस प्रकार काटी गई रकम उसके द्वारा ऐसी रीति में, जैसी की विहित की जाए, समायोजित की जाएगी।
- (घ) रजिस्ट्रीकृत व्यापारी या तालिकांकित (एनरोलड) भवन निर्माता, खण्ड (क) के अधीन कटौती की गई ऐसी रकम प्रतिदाय के रूप में रखेगा जो उपधारा (३) के अधीन काल्पनिक रूप से अनुज्ञेय रिबेट की रकम के बराबर हो।
- (ङ) रजिस्ट्रीकृत व्यापारी या तालिकांकित (एनरोलड) भवन निर्माता, खण्ड (क) के अधीन कटौती की गई ऐसी रकम जमा करेगा जो उपधारा (३) के अधीन काल्पनिक रूप से अनुज्ञेय रिबेट की रकम के अतिरिक्त हो।
- (५) उपधारा (३) के अधीन रिबेट, उपधारा (४) के अधीन देय राशि और इस अधिनियम के अधीन देय कर के विरुद्ध समायोजित की जाएगी।
- (६) इस अधिनियम के उपबंध, उपधारा (१) के अधीन कर के भुगतान हेतु दायी परिवहनकर्ता को, यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

(७) **स्पष्टीकरण—**

इस धारा के प्रयोजन के लिये,—

- (क) “माल” से अभिप्रेत है, अनुसूची-२ में विनिर्दिष्ट माल;
- (ख) “मोटर यान” से अभिप्रेत है, मोटर यान अधिनियम, १९८८ (क्रमांक ५९ सन् १९८८) के अर्थ के अन्तर्गत कोई मोटर यान, जिसमें किसी ऐसे यान से संलग्न ट्रेलर सम्मिलित है;
- (ग) “परिवहनकर्ता” से अभिप्रेत है, किसी मोटर यान द्वारा मध्यप्रदेश के राज्य क्षेत्र में या वहां से होकर माल का परिवहन करने वाला व्यक्ति.”

धारा १० का
संशोधन.

१०. मूल अधिनियम की धारा १० में,—

- (एक) शब्द और अंक “भाग-३” के स्थान पर, जहां कहीं भी वे आए हों, शब्द, अंक और अक्षर “भाग-३ और भाग ३ क” स्थापित किए जाएं;
- (दो) उपधारा (१) में, खण्ड (ख) में, उपखण्ड (दो) का लोप किया जाए;

(तीन) उपधारा (१) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात् :—

“(१-क) उपधारा (१) में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, यथास्थिति, विद्युत् ऊर्जा या विद्युत् ऊर्जा या विद्युत् ऊर्जा के उत्पादन में उपभोग किए गए माल के संबंध में उपधारा (१) के अधीन ५ प्रतिशत की दर से कर उद्ग्रहीत किया जाएगा, यदि विद्युत् ऊर्जा का विक्रय,—

(क) मध्यप्रदेश राज्य के भीतर विक्रय से भिन्न किसी प्रकार किया जाता है;

(ख) भारत सरकार को, उस सरकार द्वारा मध्यप्रदेश राज्य के अंदर उपभोग हेतु किया जाता है;

(ग) भारत सरकार को या किसी रेल्वे कम्पनी को मध्यप्रदेश राज्य के भीतर रेल्वे के निर्माण, संधारण या संचालन में उपभोग के लिये किया जाता है;

(घ) राज्य सरकार को, उस सरकार द्वारा उपभोग हेतु किया जाता है;

(ङ) किसी स्थानीय प्राधिकरण को, ऐसे प्राधिकरण द्वारा संधारित सार्वजनिक स्ट्रीट लैम्पों में या किसी बाजार स्थल या सार्वजनिक रिसॉर्ट के अन्य स्थल में लैम्पों में उपभोग के लिये किया जाता है;

(च) किसी कृषक को, मध्यप्रदेश राज्य के भीतर उसकी भूमि की सिंचाई के लिये पानी खींचने में या चारा कटाई में या उसकी भूमि की उपज की क्रशिंग में या शोधन में उपभोग के लिये किया जाता है.”.

११. मूल अधिनियम की धारा ११ में, उपधारा (१) में, शब्द और अंक “भाग-३” के स्थान पर, शब्द, अंक और अक्षर “भाग-३ और भाग ३ क” स्थापित किए जाएं;

धारा ११ का संशोधन.

१२. मूल अधिनियम की धारा ११-क में, उपधारा (१) में, खण्ड (ख) में, पूर्ण विराम के स्थान पर कोलन स्थापित किया जाए और उसके पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

धारा ११-क का संशोधन.

“परन्तु यदि कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी धारा २६ की उपधारा (२) के उपबंधों के अधीन किसी वर्ष में अधिक काटी गई या जमा की गई राशि के प्रतिदाय के लिये आवेदन करता है, तो ऐसे व्यापारी का निर्धारण, धारा २० के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा.”.

१३. मूल अधिनियम की धारा १४ में,—

धारा १४ का संशोधन.

(एक) उपधारा (१) में,—

(क) खण्ड (क) में,—

(१) शब्द और अंक “भाग-३” के स्थान पर, शब्द, अंक तथा अक्षर “भाग-३ और भाग ३-क” स्थापित किए जाएं;

(२) उपखण्ड (२), (४) और (६) में, शब्द और अंक “अनुसूची-२” के स्थान पर, शब्द और अंक विद्युत् ऊर्जा से भिन्न “अनुसूची-२”, स्थापित किए जाएं;

(३) उपखण्ड (५-ख) का लोप किया जाए;

- (४) उपखण्ड (६) के पश्चात्, द्वितीय उपभाग में, कोष्ठक, अंक तथा अक्षर “(५-ख)” का लोप किया जाए;
- (ख) खण्ड (ख) और खण्ड (ड) में, शब्द और अंक “भाग-३” के स्थान पर, शब्द, अंक तथा अक्षर “भाग-३ और भाग ३-क” स्थापित किए जाएं;
- (दो) उपधारा (१ क) और उपधारा (१ क क) में, शब्द और अंक “भाग-३” के स्थान पर, शब्द अंक तथा अक्षर “भाग-३ क” स्थापित किए जाएं;
- (तीन) उपधारा (१ क क) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात् :—

“(१ क ख) ऐसे निर्बन्धनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो कि विहित की जाएं, जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी अनुसूची-२ के भाग-३ क में यथा विनिर्दिष्ट प्राकृतिक गैस का, मध्यप्रदेश राज्य के भीतर ऐसे अन्य व्यापारी से, उसे आगत कर के भुगतान के पश्चात् क्रय करता है, और इस प्रकार क्रय की गई प्राकृतिक गैस का मध्यप्रदेश राज्य के भीतर विक्रय करता है, तब वह ऐसे आगत कर की राशि के आगत कर की रिबेट का दावा ऐसी रीति में तथा ऐसी कालावधि के भीतर, जैसी की विहित की जाए, करेगा या उसे ऐसा करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा.

(१क ग) उपधारा (१) में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी और ऐसे निर्बन्धनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो कि विहित की जाएं, जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी मध्यप्रदेश राज्य के भीतर ऐसे अन्य व्यापारी से उसे आगत कर के भुगतान के पश्चात्,—

(एक) विद्युत् ऊर्जा का क्रय करता है और इस प्रकार क्रय की गई विद्युत् ऊर्जा का,—

(१) मध्यप्रदेश राज्य के भीतर,—

(क) भारत सरकार को उस सरकार द्वारा उपभोग हेतु;

(ख) भारत सरकार को या किसी रेल्वे कम्पनी को रेल्वे के निर्माण, संधारण या संचालन में उपभोग हेतु;

(ग) राज्य सरकार को उस सरकार द्वारा उपभोग हेतु;

(घ) किसी स्थानीय प्राधिकरण को, ऐसे प्राधिकरण द्वारा संधारित सार्वजनिक स्ट्रीट लैंपों में या किसी बाजार स्थल या सार्वजनिक रिसॉर्ट के अन्य स्थल में लैंपों में उपयोग हेतु;

(ङ) किसी कृषक को, मध्यप्रदेश राज्य के भीतर उसकी भूमि की सिंचाई के लिये पानी खींचने में या चारा कटाई में या उसकी भूमि की उपज की क्रशिंग में या शोधन में उपभोग हेतु,

विक्रय से भिन्न प्रकार से विक्रय किया जाता है;

(२) विद्युत् ऊर्जा से भिन्न अनुसूची-२ में विनिर्दिष्ट माल के विनिर्माण या प्रसंस्करण या खनन में/ के लिये उपभोग किया जाता है और इस प्रकार विनिर्मित या प्रसंस्कृत या खनित माल मध्यप्रदेश राज्य के भीतर या अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में या भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में विक्रय किया जाता है; या

(३) विद्युत् ऊर्जा से भिन्न धारा १६ के अधीन करमुक्त घोषित माल के विनिर्माण या प्रसंस्करण में/के लिये उपभोग किया जाता है और इस प्रकार विनिर्मित या प्रसंस्कृत माल, भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में विक्रय किया जाता है; या

(दो) उक्त अनुसूची के भाग-३ और भाग-३ क में विनिर्दिष्ट माल से भिन्न अनुसूची-२ में विनिर्दिष्ट माल तथा संयंत्र, मशीनरी, उपस्कर और उनके पुर्जे क्रय करता है और इस प्रकार क्रय किये गये माल का उपयोग या उपभोग विद्युत् ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है तथा इस प्रकार उत्पादित विद्युत् ऊर्जा,—

(१) मध्यप्रदेश राज्य के भीतर,—

- (क) भारत सरकार को उस सरकार द्वारा उपभोग हेतु;
- (ख) भारत सरकार को या किसी रेल्वे कम्पनी को रेल्वे के निर्माण, संधारण या संचालन में उपभोग हेतु;
- (ग) राज्य सरकार को उस सरकार द्वारा उपभोग हेतु;
- (घ) किसी स्थानीय प्राधिकरण को ऐसे प्राधिकरण द्वारा संधारित सार्वजनिक स्ट्रीट लैंपों में या किसी बाजार स्थल या सार्वजनिक रिसॉर्ट के अन्य स्थल में लैंपों में उपभोग हेतु;
- (ङ) किसी कृषक को, मध्यप्रदेश राज्य के भीतर उसकी भूमि की सिंचाई के लिये पानी खींचने में या चारा कटाई में या उसकी भूमि के उपज की क्रशिंग में या शोधन में उपभोग हेतु,

विक्रय से भिन्न प्रकार से विक्रय किया जाता है; या

(२) ऐसी परिस्थितियों में, जो ऊपर उपखण्ड (१) में न आती हों, और मध्यप्रदेश राज्य के भीतर विक्रय से भिन्न प्रकार से विक्रय किया जाता है;

(तीन) उक्त अनुसूची के भाग-३ एवं भाग-३ क में विनिर्दिष्ट माल से भिन्न अनुसूची-२ में विनिर्दिष्ट माल, क्रय करता है और इस प्रकार क्रय किया गया माल का संयंत्र, मशीनरी, उपस्कर और उनके पुर्जों के रूप में विद्युत् ऊर्जा के उत्पादन, पारेषण या वितरण में/के लिए उपभोग या उपयोग किया जाता है,

तब वह ऐसे आगत कर की राशि के आगत कर की रिबेट, का दावा ऐसी रीति में तथा ऐसी कालावधि के भीतर, जैसी की विहित की जाए, करेगा या उसे ऐसा करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा.

(एक) उपखण्ड (एक) की मद (१), (२) और (३), उपखण्ड (दो) की मद (१), तथा उपखण्ड (तीन) में निर्दिष्ट माल की दशा में; और

(दो) उपखण्ड (दो) की मद (२) में निर्दिष्ट माल की दशा में, जो ऐसे माल के क्रय मूल्य, आगत कर को छोड़कर, के ५ प्रतिशत से अधिक है;

(१क घ) ऐसे निर्बन्धनों तथा शर्तों के अध्वधीन रहते हुए, जो कि विहित की जाएं, जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी अनुसूची-२ के भाग-३ क में यथाविनिर्दिष्ट डीजल और पेट्रोल, मध्यप्रदेश राज्य के भीतर ऐसे अन्य व्यापारी से उसे आगत कर के भुगतान के पश्चात् क्रय करता है, और इस प्रकार क्रय किये गये डीजल और पेट्रोल का, मध्यप्रदेश राज्य के भीतर विक्रय करता है, तब वह ऐसे आगत कर की राशि के आगत कर की रिबेट का दावा ऐसी रीति में तथा ऐसी कालावधि के भीतर, जैसी की विहित की जाए, करेगा या उसे ऐसा करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा.

(१क ड) ऐसे निर्बन्धनों तथा शर्तों के अध्वधीन रहते हुए, जो कि विहित की जाएं जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी, अनुसूची-२ के भाग-३क में विनिर्दिष्ट तेन्दू पत्ता मध्यप्रदेश राज्य के भीतर ऐसे अन्य व्यापारी से उसे आगत कर के भुगतान के पश्चात् क्रय करता है, और,—

(क) इस प्रकार क्रय किए गए तेन्दूपत्ता का मध्य प्रदेश राज्य के भीतर विक्रय करता है ; या

(ख) इस प्रकार क्रय किये गये तेन्दू पत्ते का उपभोग बीड़ी के विनिर्माण में करता है और इस प्रकार विनिर्मित बीड़ी का मध्य प्रदेश राज्य के भीतर या अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में या भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में विक्रय करता है,

तब वह ऐसे आगत कर की राशि के आगत कर की रिबेट का दावा ऐसी रीति में तथा ऐसी कालावधि के भीतर, जैसी कि विहित की जाए, करेगा या उसे ऐसा करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा.”

(१क च) ऐसे निर्बन्धनों तथा शर्तों के अध्वधीन रहते हुए, जो कि विहित की जाएं, जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी, अनुसूची-२ के भाग-३ क में विनिर्दिष्ट टिम्बर, मध्य प्रदेश राज्य के भीतर ऐसे अन्य व्यापारी से उसे आगत कर के भुगतान के पश्चात् क्रय करता है, और,—

(क) इस प्रकार क्रय किए गए टिम्बर का मध्यप्रदेश राज्य के भीतर विक्रय करता है; या

(ख) इस प्रकार क्रय किए गए टिम्बर का उपभोग तैयार फर्नीचर के विनिर्माण में करता है और इस प्रकार विनिर्मित फर्नीचर का, मध्यप्रदेश राज्य के भीतर या अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में या भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में विक्रय करता है;

तब वह ऐसे आगत कर की राशि के आगत कर की रिबेट का दावा ऐसी रीति में तथा ऐसी कालावधि के भीतर, जैसी कि विहित की जाए, करेगा या उसे ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा.”;

(चार) उपधारा (२) में, शब्द तथा अंक “भाग-३” के स्थान पर, शब्द, अंक तथा अक्षर “भाग-३ और भाग-३क” स्थापित किए जाएं;

(पांच) उपधारा (३) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

“(३) रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा इस धारा के अधीन आगत कर की रिबेट ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाए, इस अधिनियम के अधीन या केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, १९५६ (१९५६का ७४) के अधीन उसके द्वारा देय कर, ब्याज और शास्ति के मद्दे समायोजित की जाएगी और अतिशेष को, यदि कोई हो, पश्चातवर्ती वर्ष में देय कर, ब्याज और शास्ति के मद्दे समायोजन के लिए आगे बढ़ाया जाएगा:

परन्तु वह आगत कर रिबेट, जो संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से दो वर्ष के पश्चात् भी असमायोजित रह जाती है, प्रतिदाय के रूप में प्रदान की जाएगी.”;

(छह) उपधारा (६) में, खण्ड (सात) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(सात) उस माल के संबंध में, जिसके बिल, बीजक या कैश मेमो की राशि रुपये चालीस हजार से अधिक है, और जिसका भुगतान अनुसूचित बैंक के रेखांकित चैक या बैंक ड्राफ्ट या पे-ऑर्डर या इन्टरनेट बैंकिंग द्वारा नहीं किया गया है:

परन्तु धारा २ के खण्ड (घ) के स्पष्टीकरण (घ) में निर्दिष्ट संव्यवहारों के संबंध में, पुस्तक समायोजन से भुगतान उपरोक्त अपेक्षा का अनुपालन किया गया समझा जाएगा;”.

१४. मूल अधिनियम की धारा १७ में, उपधारा (३) में, शब्द “पांच सौ रुपये की रजिस्ट्रीकरण फीस” के स्थान पर, धारा १७ का शब्द “रजिस्ट्रीकरण फीस, जैसी कि विहित की जाए,” स्थापित किए जाएं. संशोधन.

१५. मूल अधिनियम की धारा १८ में, उपधारा (४) में, खण्ड (घ) में, शब्द “एक हजार” के स्थान पर, शब्द “पांच हजार” स्थापित किए जाएं. धारा १८ का संशोधन.

१६. मूल अधिनियम की धारा २० में, उपधारा (१) में, शब्द “तीन माह” के स्थान पर, शब्द “तीन कैलेण्डर मास” स्थापित किए जाएं. धारा २० का संशोधन.

१७. मूल अधिनियम की धारा २४ में, उपधारा (११) में, खण्ड (ख) में, उपखण्ड (तीन) में, शब्द “संचालक, धारा २४ का वाणिज्यिक कर” के स्थान पर, शब्द “विशेष आयुक्त, वाणिज्यिक कर, संचालक, वाणिज्यिक कर, स्थापित किए जाएं. संशोधन.

१८. मूल अधिनियम की धारा २८ में, उपधारा (१) में, शब्द, कोष्ठक तथा अक्षर “खण्ड (छ)” के स्थान पर, शब्द, कोष्ठक तथा अक्षर, “खण्ड (छ) और खण्ड (ज)” स्थापित किए जाएं. धारा २८ का संशोधन.

१९. मूल अधिनियम की धारा ४३ में, उपधारा (२) में, शब्द निरीक्षक के स्थान पर, शब्द “निरीक्षक या कराधान सहायक” स्थापित किए जाएं. धारा ४३ का संशोधन.

२०. मूल अधिनियम की धारा ४६ में,—

धारा ४६ का संशोधन.

(एक) उपधारा (१) में विद्यमान परन्तुक में पूर्ण विराम के स्थान पर कोलन स्थापित किया जाए तथा उसके पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात् :—

परन्तु यह भी कि धारा ५७ के अधीन पारित किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील, जिसमें मध्यप्रदेश राज्य का परेषक या परेषिती धारा ५७ की उपधारा (१४) के उपबंध के अनुसार अधिकृत किया गया है, विहित रीति में, यथास्थिति परेषक या परेषिती के मुख्य व्यवसाय स्थल पर अधिकारिता रखने वाले अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जा सकेगी.”;

(दो) उपधारा (८) में, खण्ड (क) में, विद्यमान परन्तुक में पूर्ण विराम के स्थान पर कोलन स्थापित किया जाए तथा उसके पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

परन्तु यह कि अपील प्राधिकारी, किसी अपील का निपटारा करने के पूर्व, ऐसी और जांच, जैसी कि वह उचित समझे कर सकेगा, या निर्धारण प्राधिकारी को और जांच करने तथा उसके परिणाम का प्रतिवेदन अपील प्राधिकारी को देने के निदेश दे सकेगा.”;

(तीन) उपधारा (८) और (९) में, शब्द “बारह मास” के स्थान पर, शब्द “बारह कैलेण्डर मास” स्थापित किए जाएं.

२१. मूल अधिनियम की धारा ४७ में,—

धारा ४७ का संशोधन.

(एक) उपधारा (१) और (२) में, शब्द “छह मास” के स्थान पर, शब्द “छह कैलेण्डर मास” स्थापित किए जाएं;

(दो) उपधारा (५) में, शब्द “संचालक, वाणिज्यिक कर” के स्थान पर, शब्द “विशेष आयुक्त, वाणिज्यिक कर या संचालक, वाणिज्यिक कर” स्थापित किए जाएं.

धारा ५३ का संशोधन.

२२. मूल अधिनियम की धारा ५३ में, उपधारा (२) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

“(२) (क) अपील बोर्ड द्वारा पारित किए गए उपधारा (१) में निर्दिष्ट किसी आदेश से व्यथित आयुक्त, उच्च न्यायालय को अपील कर सकेगा और ऐसी अपील आयुक्त को उस आदेश की, जिसके कि विरुद्ध अपील की जाना है, संसूचना की तारीख से एक सौ अस्सी दिवस के भीतर, अपील के ज्ञापन के प्ररूप में उसमें अन्तर्ग्रस्त विधि के सारवान प्रश्न का संक्षिप्त कथन करते हुए की जाएगी.

(ख) अपील बोर्ड द्वारा पारित किए गए उपधारा (१) में निर्दिष्ट किसी आदेश से व्यथित व्यापारी, उच्च न्यायालय को अपील कर सकेगा और ऐसी अपील व्यापारी को उस आदेश की, जिसके कि विरुद्ध अपील की जाना है, संसूचना की तारीख से नब्बे दिवस के भीतर, अपील के ज्ञापन के प्ररूप में, उसमें अन्तर्ग्रस्त विधि के सारवान प्रश्न का संक्षिप्त कथन करते हुए की जाएगी.”.

धारा ५७ का संशोधन.

२३. मूल अधिनियम की धारा ५७ में, उपधारा (११) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात् :—

“(११क) (क) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, जांच चौकी अधिकारी या उपधारा (५) के अधीन सशक्त अधिकारी माल को, यदि अभिगृहीत किया गया है और उपधारा (६) के खण्ड (ग) के अधीन पूर्व में ही निर्मुक्त नहीं किया गया है, यदि उपधारा (८) या (१०) के अधीन उद्गृहीत शास्ति के बराबर की रकम की नकद प्रतिभूति के रूप में यथोचित प्रतिभूति या अप्रतिसंहरणीय बैंक गारण्टी प्रस्तुत की जाती है, तो परिवहनकर्ता के पक्ष में अभिग्रहीत माल या माल सहित यान या वाहक को निर्मुक्त कर सकेगा.

(ख) यदि उपधारा (८) या (१०) के अधीन पारित आदेश के विरुद्ध कोई अपील, धारा ४६ की उपधारा (१) के अधीन प्रस्तुत की जाती है, तो उपधारा (६) के खण्ड (ग) या ऊपर खण्ड (क) के अधीन प्रस्तुत नकद प्रतिभूति या अप्रतिसंहरणीय बैंक गारंटी उपधारा (८) या (१०) के अधीन उद्गृहीत शास्ति के विरुद्ध अपील के विनिश्चय तक समायोजित नहीं की जाएगी.”.

धारा ७० का संशोधन.

२४. मूल अधिनियम की धारा ७० में,—

(एक) उपधारा (१) में, खण्ड (दो) में, “छह मास के भीतर” के स्थान पर, शब्द “यथासंभव शीघ्र, किन्तु बारह कैलेण्डर मास” स्थापित किए जाएं;

(दो) उपधारा (२) में, विद्यमान परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“परन्तु किसी व्यापारी के आवेदन पर पारित किसी पूर्व के आदेश का पुनर्विलोकन तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि ऐसे व्यापारी को, जिसके ऐसे आदेश के पुनर्विलोकन से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना है, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया जाता :

परन्तु यह कि यदि पुनर्विलोकन आवेदन कर की दर में कमी से संबंधित है, तो आयुक्त राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् कर की दर में कमी करेगा.”.

२५. मूल अधिनियम की धारा ७१ में, उपधारा (२) में, खण्ड (ड ख) को खण्ड (ड घ) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाए, और इस प्रकार पुनर्क्रमांकित खण्ड (ड ख) के पूर्व, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किए जाएं, अर्थात्:—

धारा ७१ का संशोधन.

“(ड ख) उपधारा (२) के खण्ड क के अधीन किसी भवन से नियत भूमि के मूल्य के निर्धारण, वह रीति जिसमें कोई भवन निर्माता स्वयं को तालिकांकित कराएगा और वह रीति तथा कालावधि जिसमें धारा ९-ख की उपधारा (४) के अधीन किसी तालिकांकित भवन निर्माता द्वारा आगत कर की रिबेट का दावा किया जाएगा या उसे अनुज्ञात किया जाएगा;

(ड ग) धारा ९-ग की उपधारा (१) के खण्ड (च) के अधीन पावती का प्ररूप, वह रीति जिसमें कोई परिवहनकर्ता धारा ९-ग की उपधारा (२) के अधीन स्वयं को रजिस्ट्रीकृत कराएगा, वह रीति तथा कालावधि जिसमें धारा ९ (ग) की उपधारा (३) के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी या किसी तालिकांकित भवन निर्माता द्वारा रिबेट का दावा किया जाएगा या उसे अनुज्ञात किया जाएगा; और जारी किये जाने वाले प्रमाण पत्र का प्ररूप, वह रीति जिसमें इसे प्राप्त किया जाएगा तथा वह रीति जिसमें धारा ९-ग की उपधारा (४) के अधीन काटी गई किसी रकम को समायोजित किया जाएगा;”.

२६. मूल अधिनियम की अनुसूची-१ में,—

अनुसूची-१ का संशोधन.

(एक) अनुक्रमांक १३ और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

“१३. विद्युत ऊर्जा—जब मध्यप्रदेश राज्य के भीतर विक्रय से भिन्न प्रकार से विक्रय किया जाता है;

- जब भारत सरकार को मध्यप्रदेश राज्य के भीतर उस सरकार द्वारा उपभोग हेतु विक्रय किया जाता है;
- जब भारत सरकार को या किसी रेलवे कम्पनी को रेल के निर्माण, संधारण या संचालन में मध्यप्रदेश राज्य के भीतर उपभोग हेतु विक्रय किया जाता है;
- जब राज्य सरकार को उस सरकार द्वारा विक्रय किया जाता है;
- जब किसी स्थानीय प्राधिकारी को ऐसे प्राधिकारी द्वारा अनुरक्षित सार्वजनिक स्ट्रीट लैम्प्स में या किसी बाजार स्थल या सार्वजनिक रिसॉर्ट के अन्य स्थल में लैम्प्स में मध्यप्रदेश राज्य के भीतर उपभोग हेतु विक्रय किया जाता है;
- जब किसी कृषक को मध्यप्रदेश राज्य के भीतर उसकी भूमि की सिंचाई के लिये पानी खींचने में या चारा कटाई में या उसकी भूमि के उत्पाद की क्रशिंग में या उपचारण में उपभोग हेतु विक्रय किया जाता है.”;

(दो) अनुक्रमांक ४८ के सम्मुख, कॉलम (२) में, शब्द “अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, १९५७ (१९५७ का ५८) की प्रथम अनुसूची, जो वित्त अधिनियम, २०११ (२०११ का ८) के प्रभावशील होने की तारीख से पूर्व लागू थी, में विनिर्दिष्ट फैब्रिक्स” का लोप किया जाए;

(तीन) अनुक्रमांक ४९ के सम्मुख, कॉलम (२) में, शब्द “अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, १९५७ (१९५७ का ५८) की प्रथम अनुसूची, जो वित्त अधिनियम, २०११ (२०११ का ८) के प्रभावशील होने की तारीख से पूर्व लागू थी, में विनिर्दिष्ट शक्कर” का लोप किया जाए;

(चार) अनुक्रमांक ५० और उससे संबंधित प्रविष्टियों, ०१-०४-२००६ से ३१-०३-२००७ के मध्य विद्यमान,

के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

“५० तम्बाखु-निर्मित या अनिर्मित, अभिसाधित या अनअभिसाधित तथा तम्बाखु उत्पाद जिसमें सिगरेट, सिगार, चिरूट तथा बीड़ी सम्मिलित हैं, जिस पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क उद्ग्रहणीय था, किन्तु भारत सरकार द्वारा छूट दी गई है”;

(पाँच) अनुक्रमांक ६१ के सम्मुख, कॉलम (२) में, शब्द “लोहा और इस्पात” के स्थान पर, शब्द “लोहा और इस्पात या प्लास्टिक” स्थापित किए जाएं;

(छह) अनुक्रमांक ७२ के सम्मुख, कॉलम (२) में, शब्द, तथा कोष्ठक “स्प्रिंकलर्स और ड्रिप सिंचाई में उपयोग में आने वाले उपकरण (पाईप और मोटर को छोड़कर)” के स्थान पर, शब्द, तथा कोष्ठक “स्प्रिंकलर सिस्टम एवं ड्रिप इरीगेशन सिस्टम में विशिष्ट रूप से उपयोग होने वाले पुर्जे एवं उपसाधन (मोटर को छोड़कर) जिसमें सम्मिलित है ऐसे पाइप जो अनन्य रूप से पूर्णतः स्प्रिंकलर एवं ड्रिप सिस्टम में उपयोग हो, (किन्तु सामान्य कार्य हेतु उपयोग होने वाले वहन पाईप को छोड़कर)” स्थापित किए जाएं;

अनुसूची-२ का
संशोधन.

२७. मूल अधिनियम की अनुसूची-२, में.—

(एक) भाग-दो में,—

(क) अनुक्रमांक ५ क के सम्मुख, कॉलम (२) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि स्थापित की जाए, अर्थात् :—

“सभी प्रकार के काम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प (सीएफएल)/लाइट इमीटिंग डायोड (एल ई डी) बल्ब और ट्यूब”;

(ख) अनुक्रमांक १४ क और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाए;

(ग) अनुक्रमांक १८ के सम्मुख, कॉलम (२) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि स्थापित की जाए, अर्थात् :—

“एल्युमिनियम या बहुमूल्य सामग्रियों से भिन्न अन्य सामग्री से निर्मित बाल्टियां, घमेला, तसला और तगाड़ी, लोहा और इस्पात या प्लास्टिक से निर्मित बाल्टियां, और सब्बल (क्रो बार)”;

(घ) अनुक्रमांक ३४ के सम्मुख, कॉलम (२) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि स्थापित की जाए, अर्थात् :—

“फैब्रिक्स जो अनुसूची-१ में विनिर्दिष्ट नहीं हैं”;

(ङ) अनुक्रमांक ५१ के सम्मुख, कॉलम (२) में, प्रविष्टि (८) में, शब्द “बोर्ड” के स्थान पर, शब्द “मोड” स्थापित किया जाए;

(च) अनुक्रमांक ५२ के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात् :—

“५३ खसखस ५”;

(छ) अनुक्रमांक ५५ के सम्मुख, कॉलम (२) में, प्रविष्टि (११) के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाए, अर्थात् :—

“(११ क) एल्युमिनियम सर्कल्स और शीट्स”;

(ज) अनुक्रमांक ५७ के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात् :—

“५७ क एडल्ट डायपर और सेनिटरी नैपकिन ५”;

- (झ) अनुक्रमांक ६१ के सम्मुख, कॉलम (२) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि स्थापित की जाए, अर्थात् :—

“नट, बोल्ड, स्कू तथा फास्टर अर्थात् कब्जे, कीलें, रिबेट्स, कॉटर, कॉटर पिन्स, स्टेपल्स और पैनल पिन्स, (उनके वॉशर सहित)”

- (ञ) अनुक्रमांक ६३ के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात् :—

“६३ क	पी सी सी पोल्स	५
६३ ख	फोटोग्राफी पेपर	५”;

- (ट) अनुक्रमांक ८४ क में, शब्द “साबूदाना खिचड़ी और श्रीखण्ड” के स्थान पर, शब्द “साबूदाना खिचड़ी, श्रीखण्ड और खाखरा” स्थापित किए जाएं;

- (दो) भाग-तीन के स्थान पर, निम्नलिखित भाग स्थापित किए जाएं, अर्थात् :—

“भाग-तीन

- | | | |
|------|--|-----|
| १ | एविएशन टर्बाइन फ्यूल, जो केन्द्रीय विक्रयकर अधिनियम, १९५६ (१९५६ का ७४) की धारा १४ के खण्ड (दो-घ) में विनिर्दिष्ट किये गये से भिन्न है. | |
| (एक) | जब भोपाल और इन्दौर हवाई अड्डों पर ईंधन भरने हेतु विमानन कम्पनियों को विक्रय किया जाता है. | २३ |
| (दो) | जब भोपाल और इन्दौर को छोड़कर अन्य हवाई अड्डों/हवाई पट्टियों पर ईंधन भरने हेतु विमानन कम्पनियों को विक्रय किया जाता है. | १३ |
| २ | कच्ची अफीम | १३ |
| ३ | सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेचा गया केरोसिन तेल | ५ |
| ४ | पुरानी या सैकेण्ड हेण्ड मोटर यान जैसा कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे | १.५ |
| ५ | पूँजीगत माल (प्लान्ट तथा मशीनरी और मोटरयान से भिन्न) जिन पर अधिनियम के अधीन कर क्रय करते समय, चुकाया गया हो और ऐसे क्रय पर कोई आगत कर रिबेट अनुज्ञेय न हो. | १.५ |

“भाग-तीन क

- | | | |
|---|---|----|
| १ | डीजल (लाइट डीजल आईल और फर्नेस आईल को छोड़कर) | २३ |
| २ | पेट्रोल | २७ |
| ३ | विद्युत ऊर्जा (अनुसूची-१ में विनिर्दिष्ट को छोड़कर) | ५ |

४	प्राकृतिक गैस, कम्प्रेस्ड प्राकृतिक गैस को सम्मिलित करते हुए	१३
५	तेन्दूपत्ता	२५
६	टिम्बर	१३

(तीन) भाग-चार में, कॉलम (२) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि स्थापित की जाए, अर्थात् :—

“अन्य सभी माल, जो अनुसूची-१ तथा इस अनुसूची के किसी अन्य भाग में सम्मिलित नहीं हैं”.

भोपाल :

तारीख : २८ मार्च, २०१२

राघवजी

भारसाधक सदस्य

“संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित”

राजकुमार पांडे

प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, २०१२ के जिन खण्डों के द्वारा विधायनी शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जा रहा है, उनका विवरण निम्नानुसार है :—

- (१) खण्ड ४(क)—अपील बोर्ड द्वारा अपील के निपटारे तक स्थगन की कालावधि में वृद्धि किए जाने
- (२) खण्ड ९-ग(१)(च)—माल ले जाने वाले यान के प्रभारी द्वारा पावती का प्रारूप रखे जाने
- (३) खण्ड ९(२)—करदायी परिवहनकर्ता द्वारा रजिस्ट्रीकरण कराए जाने
- (४) खण्ड ९(३)—रजिस्ट्रीकृत व्यापारी या तालिकांकित भवन निर्माता द्वारा कर की राशि के रिबेट का दावा किये जाने हेतु
- (५) खण्ड ९(४)(ख)—कर की कटौती का प्रमाण-पत्र जारी किये जाने
- (६) खण्ड ९(४)(ग)—कर की कटौती की राशि का समायोजन किये जाने
- (७) खण्ड १३(तीन)(१क ख)—रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा आगत कर रिबेट का दावा अनुज्ञात किये जाने
- (८) खण्ड १३(तीन) (१क ग)—रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा आगत कर के भुगतान के पश्चात् विद्युत ऊर्जा के क्रय-विक्रय किये जाने.
- (९) खण्ड १३(तीन) (१क घ)—अनुसूची-२ के भाग-३क में विनिर्दिष्ट माल डीजल, पेट्रोल पर आगत कर रिबेट का दावा किये जाने.
- (१०) खण्ड १३(तीन) (१क ङ)—अनुसूची-२ के भाग-३क में विनिर्दिष्ट माल, तेन्दूपत्ता पर आगत कर रिबेट का दावा किये जाने
- (११) खण्ड १३(तीन) (१क च)—अनुसूची-२ के भाग-३क में विनिर्दिष्ट माल टिम्बर पर आगत कर रिबेट का दावा किये जाने
- (१२) खण्ड २०(एक)—मुख्य व्यवसाय स्थल पर अधिकारिता रखने वाले प्राधिकारी के समक्ष अपील किये जाने
- (१३) खण्ड २५(ड ख)—तालिकांकित भवन निर्माता द्वारा आगत कर रिबेट का दावा किये जाने, तथा
- (१४) खण्ड २५(ड ग)—जारी किये जाने वाली राशि का समायोजन किये जाने

के संबंध में नियम बनाये जायेंगे, जो सामान्य स्वरूप के होंगे.

राजकुमार पांडे

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 144]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 29 मार्च 2012—चैत्र 9, शक 1934

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2012

क्र. 1872-122-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 11, सन् 2012) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH BILL
No. 11 OF 2012.

THE MADHYA PRADESH VAT (AMENDMENT) BILL, 2012

TABLE OF CONTENTS

Clauses :

1. Short title and commencement.
2. Substitution of long title.
3. Amendment of Section 3.
4. Amendment of Section 4-A.
5. Amendment of Section 4-B.
6. Amendment of Section 5.
7. Amendment of Section 6.
8. Amendment of Section 9-B.
9. Insertion of Section 9-C.
10. Amendment of Section 10.
11. Amendment of Section 11.
12. Amendment of Section 11-A.
13. Amendment of Section 14.
14. Amendment of Section 17.
15. Amendment of Section 18.

16. Amendment of Section 20.
17. Amendment of Section 24.
18. Amendment of Section 28.
19. Amendment of Section 43.
20. Amendment of Section 46.
21. Amendment of Section 47.
22. Amendment of Section 53.
23. Amendment of Section 57.
24. Amendment of Section 70.
25. Amendment of Section 71.
26. Amendment of Schedule I.
27. Amendment of Schedule II.

MADHYA PRADESH BILL

No. 11 OF 2012.

THE MADHYA PRADESH VAT (AMENDMENT) BILL, 2012

A Bill further to amend the Madhya Pradesh Vat Act, 2002.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-third year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Vat (Amendment) Act, 2012.

(2) (a) The provisions of clause (vi) of Section 13 of this amending Act shall be deemed to have come into force from 1st August, 2009;

(b) The provisions of clause (iv) of Section 26 of this amending Act shall be deemed to have come into force from 1st April, 2006 to 31st March, 2007;

(c) The remaining provisions of this amending Act shall come into force from 1st April, 2012.

Substitution of long title.

2. For long title of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002) (hereinafter referred to as the Principal Act), the following long title shall be substituted, namely :—

“An Act to levy tax on sale and purchase of goods tax on buildings and tax on goods carried by road in the State of Madhya Pradesh.”.

Amendment of Section 3.

3. In section 3 of the principal Act,—

(i) in sub-section (1),—

“ (a) for clause (a), the following clauses shall be substituted, namely:—

- (a) Special Commissioner of Commercial Tax;
- (aa) Director of Commercial Tax;”;

(b) in clause (f), the word “and” shall be omitted and for clause (g), the following clauses shall be substituted, namely:-

“(g) Inspector of Commercial Tax; and

(h) Taxation Assistant.”;

(ii) in sub-section (2), for the words “The Commissioner of Commercial Tax”, the words “ The Commissioner of Commercial Tax, the Special Commissioner of Commercial Tax” shall be substituted; and

(iii) for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely :-

“(3) The Commissioner of Commercial Tax, Special Commissioner of Commercial Tax, the Director of Commercial Tax and the Additional Commissioner of Commercial Tax shall exercise all the powers and perform all the duties conferred or imposed on the Commissioner by or under this Act throughout the State and for this purpose any reference to the Commissioner in this Act, shall be construed as a reference to the Special Commissioner of Commercial Tax, the Director of Commercial Tax and the Additional Commissioner of Commercial Tax.”.

4. In section 4-A of the principal Act, for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely:—

Amendment of Section 4-A.

“(3) On an application under sub-section (6) of section 46, the Appellate Board may, after considering the merits of the application made by the dealer, pass an order of stay for a period of three hundred and sixty five days from the date of such order and the Appellate Board shall dispose of the appeal within the said period of stay specified in that order:

Provided that where such appeal is not so disposed of within the said period of stay as specified in the order of stay, the Appellate Board may, on an application made in this behalf by the dealer and on being satisfied that the delay in disposing of the appeal is not attributable to the dealer, extend the period of stay till decision of appeal.”

5. In section 4-B of the principal Act, for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely :-

Amendment of Section 4-B.

“(3) The Chairman or any other member of the Appellate Board may, sitting singly, dispose of any case which pertains to a dealer whose total amount of tax, interest and/or penalty as computed by the assessing authority in the case does not exceed rupees one lac and the Chairman may for the disposal of any particular case, constitute a special bench consisting of three or more members, one of whom shall necessarily be a judicial member and one an accountant member.”.

6. In section 5 of the principal Act, in sub-section (2), the words “under the said sub-section” shall be omitted.

Amendment of Section 5.

7. In section 6 of the principal Act, in sub-section (1), for the words “twelve months”, the words “twelve calendar months” shall be substituted.

Amendment of Section 6.

8. In Section 9-B of the Principal Act,—

Amendment of Section 9-B.

(i) in sub-section (4), for the word and figure “Part III”, the words, figures and letter “Part-III and Part-III A” shall be substituted;

(ii) in sub-section (5), for full stop, the colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be added, namely:-

“Provided that the purchase value of goods, on which tax under the Act has been paid at the time of purchase and no input tax rebate is admissible on such purchase, shall be deducted from the capital value of the building.”.

Insertion of
Section 9-C

9. After section 9-B of the principal Act, the following section shall be inserted, namely: —

Tax on goods
carried by road.

“9-C (1) (a) Every transporter shall be liable to pay tax on such goods, as the State Government may, by notification specify, carried by road in the State of Madhya Pradesh :

Provided that no tax shall be payable in respect of the goods belonging to a person other than a dealer or a builder who carries on business in or outside the State of Madhya Pradesh.

(b) The tax shall be levied on freight at the rate specified in column (3) of Schedule II, against the corresponding entry of the goods notified under clause (a).

(c) Where no freight is charged or only token freight is charged, the tax shall be levied on the normal freight prevalent on the route.

(d) Where the goods are carried by a motor vehicle owned by the owner of the goods, the tax shall be levied on the normal freight prevalent on the route.

(e) Where goods are carried by a motor vehicle from any place outside the State to any place within the State or from any place within the State to any place outside the State or from any place outside the State to any other place outside the State but through the State or from any place within the State to any other place within the State but through the intervening territory of another State, the tax shall be payable in respect of the freight relating to the distance covered within the State.

(f) The person in-charge of a motor vehicle carrying the goods shall carry with him a receipt in the prescribed form issued by the transporter.

(2) Every transporter liable to pay tax under sub-section (1), shall get himself registered in such manner as may be prescribed:

Provided that if the transporter is owner, registered under section 17 or enrolled under section 9-B, of the goods being carried, such transporter shall not be required to register under this sub-section.

(3) (a) A registered dealer or an enrolled builder who gets his goods carried by a transporter after payment to him tax under sub-section (1), shall claim or be allowed in such manner and within such period as may be prescribed, rebate of the amount of such tax.

(b) The rebate under clause (a) shall be claimed or be allowed only in respect of the tax on freight relating to the goods which are sold within the State of Madhya Pradesh or in the course of inter-state trade or commerce or in the course of export out of the territory of India or to the goods consumed in the manufacture or processing of goods and the goods so manufactured or processed are sold within the state of Madhya Pradesh or in the course of inter-state trade or commerce or in the course of export out of the territory of India or to the goods consumed in the construction of a building and tax is paid under section 9-B on the building so constructed.

(c) The rebate under clause (a) shall be claimed or be allowed only in respect of the tax on freight which is part of the sale price of the goods sold within the State of Madhya Pradesh or

in the course of inter-state trade or commerce or in the course of export out of the territory of India.

(4) (a) Every consignor or consignee, who is a dealer registered under section 17 or a builder enrolled under section 9-B, of goods notified, shall deduct tax payable under sub-section (1) from the amount payable by him to the transporter for carrying the goods.

(b) On deduction of the amount under clause (a), the registered dealer or the enrolled builder shall issue a certificate of deduction of tax to the transporter in such form and manner as may be prescribed.

(c) The certificate of deduction of tax shall constitute a goods and sufficient discharge of the liability of the transporter to pay tax in respect of such transaction and the amount so deducted shall be adjusted by him in such manner as may be prescribed.

(d) The registered dealer or the enrolled builder shall retain as refund the amount deducted under clause (a) which is equal to the amount of rebate notionally admissible under sub-section (3).

(e) The registered dealer or the enrolled builder shall deposit the amount deducted under clause (a) which is over and above the amount of rebate notionally admissible under sub-section (3).

(5) The rebate under sub-section (3) shall be adjusted towards the amount payable under sub-section (4) and the tax payable under the Act.

(6) The provisions of this Act shall mutatis mutandis apply to a transporter who is liable to pay tax under sub-section (1),

Explanation.— For the purpose of this section,—

- (a) “Goods” means goods specified in Schedule II;
- (b) “Motor vehicle” means a motor vehicle, including trailer when attached to any such vehicle within the meaning of the Motor Vehicles Act, 1988, (No. 59 of 1988);
- (c) “Transporter” means the person transporting goods in or through the territory of the State of Madhya Pradesh by a motor vehicle.”.

10. In section 10 of the principal Act,

**Amendment of
Section 10.**

- (i) for the word and figure “Part-III” Wherever they occur, the words, figures and letter “Part-III and Part-III A” shall be substituted;
- (ii) in sub-section (1), in clause (b), sub-clause (ii) shall be omitted;
- (iii) after sub-section (1), the following sub-section shall be inserted, namely:—

“(1A) Notwithstanding anything to the contrary contained in sub-section (1), tax under sub-section (1) shall be levied at the rate of 5 percent in respect of electrical energy or the goods consumed in the generation of electrical energy, as the case may be, if the electrical energy is sold,—

- (a) otherwise than by way of sale within the State of Madhya Pradesh;

- (b) to the Government of India for consumption by that Government within the State of Madhya Pradesh;
- (c) to the Government of India or a railway company for consumption in the construction, maintenance or operation of railway within the State of Madhya Pradesh;
- (d) to the State Government for consumption by that Government;
- (e) to any local authority for consumption in public street lamps or lamps in any market places or other places of public resort maintained by such authority;
- (f) to an agriculturist for consumption in pumping of water for irrigation of his land or in chaff cutting or in crushing or treating the produce of his land within the State of Madhya Pradesh.”;

**Amendment of
Section 11.**

11. In Section 11 of the principal Act, in sub-section (1), for the word and figure “Part-III”, the words, figures and letter “Part III and Part-III A” shall be substituted;

**Amendment of
Section 11-A.**

12. In Section 11-A of the principal Act, in sub-section (1), in clause (b), for full stop, the colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided that if a registered dealer makes an application for refund of excess amount deducted under sub-section (2) of Section 26 or deposited in a year, the assessment of such dealer shall be made in accordance with the provisions of Section 20.”.

**Amendment of
Section 14.**

13. In Section 14 of the principal Act,

(i) in sub-section (1),—

(a) in clause (a),—

- (1) for the word and figure “part-III”, the words, figures and letter “Part III and Part-III A” shall be substituted;
- (2) in sub-clauses (2), (4), and (6) for the word and figure “Schedule II”, the words and figure “Schedule II other than electrical energy” shall be substituted;
- (3) sub- clause (5-b) shall be omitted;
- (4) after sub-clause (6), in second sub-division, the bracket, figure and letter “(5-b)” shall be omitted;

(b) in clause (b) and clause (e), for the word and figure “part-III”, the words, figures and letter “Part-III and Part-III A” shall be substituted;

(ii) in sub-section (1A) and (1AA), for the word and figure “Part-III”, the word, figure and letter “part-III A” shall be substituted;

(iii) after sub-section (1AA), the following sub-sections shall be inserted, namely:—

“(1AB) Subject to such restrictions and conditions as may be prescribed, where a registered dealer purchases natural gas as specified in Part-III A of Schedule II within the State of Madhya Pradesh from another such dealer after payment to him input tax, and sells the natural gas so purchased within the State of

Madhya Pradesh, he shall claim or be allowed in such manner and within such period as may be prescribed, input tax rebate of the amount of such input tax.

(IAC) Notwithstanding anything to the contrary contained in sub-section (1) and subject to such restrictions and conditions as may be prescribed, where a registered dealer purchases within the State of Madhya Pradesh from another such dealer after payment to him input tax,—

(i) Electrical energy and the electrical energy so purchased,—

(1) is sold within the State of Madhya Pradesh otherwise than by way of sales,—

- (a) to the Government of India for consumption by that Government;
- (b) to the Government of India or a railway company for consumption in the construction, maintenance or operation of railway;
- (c) to the State Government for consumption by that Government;
- (d) to any local authority for consumption in public street lamps or lamps in any market places or other places of public resort maintained by such authority;
- (e) to an agriculturist for consumption in pumping of water for irrigation of his land or in chaff cutting or in crushing or treating the produce of his land within the State of Madhya Pradesh;

(2) is consumed for/in the manufacture or processing or mining of goods specified in Schedule II other than electrical energy and the goods so manufactured or processed or mined are sold within the State of Madhya Pradesh or in the course of inter-state trade or commerce or in the course of export out of the territory of India; or

(3) is consumed for/in the manufacture or processing of goods declared tax free under section 16, other than electrical energy, and the goods so manufactured or processed are sold in the course of export out of the territory of india;

(ii) goods specified in Schedule II, other than the goods specified in Part-III and Part-III A of the said Schedule and plant, machinery, equipment and parts thereof, and the goods so purchased are consumed or used in generation of electrical energy and electrical energy so generated,—

(1) is sold within the State of Madhya Pradesh otherwise than by way of sales,—

- (a) to the Government of India for consumption by that Government;
- (b) to the Government of India or a railway company for consumption in the construction, maintenance or operation of railway;
- (c) to the State Government for consumption by that Government;
- (d) to any local authority for consumption in public street lamps or lamps in any market places or other places of public resort maintained by such authority;

(e) to an agriculturist for consumption in pumping of water for irrigation of his land or in chaff cutting or in crushing or treating the produce of his land within the state of Madhya Pradesh;

(2) is sold in the circumstances not covered in sub-clause (1) above and otherwise than by way of sale within the State of Madhya Pradesh;

(iii) goods specified in Schedule II other than the goods specified in part-III and Part-III A of the said Schedule, and the goods so purchased are consumed or used as plant, machinery, equipment and parts thereof for/in generation, transmission or distribution of electrical energy,

he shall claim or be allowed in such manner and within such period as may be prescribed, input tax rebate of the amount of such input tax,

(i) in case of goods referred to in items (1), (2) and (3) of sub-clause (i), item (1) of sub-clause (ii), and sub-clause (iii); and

(ii) in case of goods referred to in item (2) of sub-clause (ii), which is in excess of 5 percent of the purchase price, net of input tax, of such goods;

(1AD) Subject to such restrictions and conditions as may be prescribed, where a registered dealer purchases diesel and petrol as specified in Part-III A of Schedule II within the State of Madhya Pradesh from another such dealer after payment to him input tax, and sells the diesel and petrol so purchased within the State of Madhya Pradesh, he shall claim or be allowed in such manner and within such period as may be prescribed, input tax rebate of the amount of such input tax.

(1AE) Subject to such restrictions and conditions as may be prescribed, where a registered dealer purchases tendu leaves as specified in Part-III A of Schedule II within the State of Madhya Pradesh from another such dealer after payment to him input tax, and

(a) sells the tendu leaves so purchased within the State of Madhya Pradesh; or

(b) consumes the tendu leaves so purchased in manufacture of bidi and the bidi so manufactured is sold within the State of Madhya Pradesh or in the course of inter State trade or commerce or in the course of export out of the territory of India,

he shall claim or be allowed in such manner and within such period as may be prescribed, input tax rebate of the amount of such input tax.”.

(1AF) Subject to such restrictions and conditions as may be prescribed, where a registered dealer purchases timber as specified in Part-III A of Schedule II within the State of Madhya Pradesh from another such dealer after payment to him input tax, and

(a) sells the timber so purchased within the State of Madhya Pradesh; or

(b) consumes the timber so purchased in manufacture of ready to use furniture and the furniture so manufactured is sold within the State of Madhya Pradesh or in the course of inter-State trade or commerce or in the course of export out of the territory of India,

he shall claim or be allowed in such manner and within such period as may be prescribed, input tax rebate of the amount of such input tax.”;

(iv) in sub-section (2), for the word and figure “Part-III”, the words, figures and letter “Part-III and Part-III A” shall be substituted;

(v) for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely:—

“(3) The input tax rebate by a registered dealer under this section shall be adjusted in such manner as may be prescribed towards the tax, interest and penalty payable by him under this Act or under the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956) and the balance, if any, shall be carried over for adjustment towards tax, interest and penalty payable in the subsequent year :

Provided that the input tax rebate, which remains unadjusted even after two years from the close of the relevant financial year, shall be granted by way of refund.”;

(vi) In sub-section (6), for clause (vii), the following clause shall be substituted, namely:—

“(vii) in respect of goods, the amount of bill, invoice or cash memorandum of which exceeds rupees forty thousand, any payment of which has not been made by crossed cheque or bank draft or pay order or internet banking of a scheduled bank:

Provided that in respect of the transactions referred to in explanation (d) of clause (u) of Section 2, payment by book adjustment shall be deemed to be a compliance of the above requirement;”.

14. In Section 17 of the Principal Act, in sub-section (3), for the words “a registration fee of five hundred rupees”, the words “a registration fee, as may be prescribed,” shall be substituted. **Amendment of Section 17.**

15. In Section 18 of the Principal Act, in sub-section (4), in clause (d), for the words “one thousand”, the words “five thousand” shall be substituted. **Amendment of Section 18.**

16. In Section 20 of the Principal Act, in sub-section (1), for the words “ three months”, the words “three calendar months” shall be substituted. **Amendment of Section 20.**

17. In Section 24 of the Principal Act, In sub-section (11), in clause (b), in sub-clause (iii), for the word “Director of Commercial Tax”, the words “Special Commissioner of Commercial Tax, Director of Commercial Tax” shall be substituted. **Amendment of Section 24.**

18. In Section 28 of the Principal Act, in sub-section (1), for the word, bracket and letter “clause (g)”, the words, brackets and letters “clause (g) and clause (h)” shall be substituted. **Amendment of Section 28.**

19. In Section 43 of the Principal Act, in sub-section (2), for the word, “Inspector”, the words “Inspector or Taxation Assistant” shall be substituted. **Amendment of Section 43.**

20. In Section 46 of the Principal Act :— **Amendment of Section 46.**

(i) in sub-section (1), in the existing proviso for full stop, the colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be added, namely :—

“ Provided further that an appeal against an order passed under section 57, wherein the consignor or consignee of the State of Madhya Pradesh has been authorised in accordance with the provision of sub-section (14) of Section 57, may, in the prescribed manner, be filed before the Appellate Authority having jurisdiction over the principal place of business of the consignor or consignee, as the case may be.”;

(ii) in sub-section (8), in clause (a), in the existing proviso for full stop, the colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be added, namely:-

“ Provided further that the Appellate Authority may, before disposing of any appeal, make such further inquiry as he thinks fit, or may direct the Assessing Authority to make further inquiry and report the result of the same to the Appellate Authority.”;

(iii) in sub-sections (8) and (9), for the words “twelve months”, the words “twelve calendar months” shall be substituted.

**Amendment of
Section 47.**

21. In Section 47 of the Principal Act,—

- (i) In sub-section (1) and (2), for the words “six months”, the words “six calendar months” shall be substituted;
- (ii) In sub-section (5), for the word “ the Director of Commercial Tax” the words “ the Special Commissioner of Commercial Tax or the Director of Commercial Tax” shall be substituted.

**Amendment of
Section 53.**

22. In Section 53 of the Principal Act, for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely:—

“(2) (a) The Commissioner aggrieved by any order referred to in sub-section (1) passed by the Appellate Board, may file an appeal to the High Court and such appeal shall be filed within one hundred eighty days from the date of the communication to the Commissioner of the order appealed against, in the form of a memorandum of appeal precisely stating therein the substantial question of law involved.

(b) A dealer aggrieved by any order referred to in sub-section (1) passed by the Appellate Board, may file an appeal to the High Court and such appeal shall be filed within ninety days from the date of the communication to the dealer of the order appealed against, in the form of a memorandum of appeal precisely stating therein the substantial question of law involved.”.

**Amendment of
Section 57.**

23. In Section 57 of the Principal Act, after sub-section (11), the following sub-section shall be inserted, namely :—

“(11 A) (a) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Section, the check Post Officer or the Officer empowered under sub-section (5) may release the goods or the vehicle or carrier alongwith the goods seized in favour of the transporter, if seized and not already released under clause (c) of sub-section (6), if adequate security in the form of cash security or irrevocable bank guarantee of the amount equal to the penalty levied under sub-section (8) or (10) is furnished.

(b) If an appeal against the order passed under sub-section (8) or (10) is filed under sub-section (1) of Section 46, the cash security or irrevocable bank guarantee furnished under clause (c) of sub-section (6) or clause (a) above shall not be appropriated towards the penalty levied under sub-section (8) or (10) till the decision in the first appeal.”.

24. In Section 70 of the Principal Act,—

**Amendment of
Section 70.**

- (i) in sub-section (1), in clause (ii), for the words “within six months”, the words “as early as possible, not later than twelve calendar months” shall be substituted;
- (ii) in sub-section (2), for the proviso, the following provisos shall be substituted, namely :—

“Provided that no review of an earlier order passed on application of a dealer shall be made unless a reasonable opportunity of being heard is given to the dealer who is likely to be adversely affected by the review:

Provided further that if the application for review relates to reduction of rate of tax, the Commissioner shall reduce the rate of tax after obtaining approval from the State Government.”.

25. In Section 71 of the Principal Act, in sub-section (2), clause (eb). shall be renumbered as clause (ed), and before the clause (ed) as so renumbered, the following clauses shall be inserted, namely:-

**Amendment of
Section 71.**

- “ (eb) determination value of land assigned to a building under clause (a) of sub-section (2), the manner in which a builder shall get himself enrolled and the manner and period in which input tax rebate shall be claimed by or be allowed to a enrolled builder under sub-section(4) of section 9-B;
- (ec) form of receipt under clause (f) of sub-section(1) of section 9-C, the manner in which a transporter shall get himself registered under sub-section (2) of Section 9-C, the manner and period in which rebate shall be claimed by or be allowed to a registered dealer or an enrolled builder under sub-section (3) of Section 9-C, and the form of certificate to be issued, the manner in which it is to be obtained and the manner in which any amount deducted shall be adjusted under sub-section (4) of Section 9-C;”.

26. In Schedule I to the Principal Act,—

**Amendment of
schedule I.**

- (i) for serial number 13 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

“ 13. Electrical energy - when sold otherwise than by way of sale within the State of Madhya Pradesh;

-when sold to the Government of India for consumption by that Government within the State of Madhya Pradesh;

-when sold to the Government of India or a railway company for consumption in the construction, maintenance or operation of railway within the State of Madhya Pradesh;

-when sold to the State Government for consumption by that Government;

- when sold to any local authority for consumption within the State of Madhya Pradesh in public street lamps or lamps in any market places or other places of public resort maintained by such authority;

-when sold to an agriculturist for consumption in pumping of water for irrigation of his land or in chaff cutting or in crushing or treating the produce of his land within the State of Madhya Pradesh.”;

- (ii) against serial number 48, in column (2), the words “ Fabrics specified in the First Schedule to the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957) as it stood prior to the date on which the Finance Act, 2011 (8 of 2011) came into force” shall be omitted;
- (iii) against serial number 49, in column (2), the words “ Sugar specified in the First schedule to the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957) as it stood prior to the date on which the Finance Act, 2011 (8 of 2011) came into force” shall be omitted;
- (iv) for the serial number 50 and entries relating thereto, existing between 01.04.2006 to 31.03.2007, following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely :-

“ 50 Tobacco manufactured or un-manufactured, cured or uncured and tobacco products including cigarettes, cigars, cheroots and bidis, on which additional excise duty was leviable, but exempted by the Government of India”;
- (v) against serial number 61, in column (2), for the words “iron and steel”, the words “iron and steel or plastic” shall be substituted;
- (vi) against serial number 72, in column (2), for the words “sprinklers and equipments used in drip irrigation (other than pipe and motor)”, the words “Parts and accessories (other than motor) specific to the sprinkler system and drip irrigation system including pipes which are used exclusively for sprinkler and the drip system (but not used for ordinary works as carriage pipes) shall be substituted ;

**Amendment of
schedule II.**

27. In Schedule II to the Principal Act,—

- (i) in part-II, —
 - (a) against serial number 5A, in column (2), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:-

“ all kinds of Compact Fluorescent Lamp (CFL)/Light Emitting Diode (LED) bulb and tube”;
 - (b) serial number 14 A and entries relating thereto shall be omitted;
 - (c) against serial number 18, in column (2), for the existing entry, the following entry shall be substituted namely:-

“ Buckets, Ghamela, Tasla and Tagadi made of Aluminium or other material except precious materials, buckets made of iron and steel or plastic, and crow bar”;
 - (d) against serial number 34, in column (2), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:—

“ Fabrics other than those specified in Schedule I”;

- (e) against serial number 51, in column (2), in entry (8), for the word “board” , the word “mode” shall be substituted;
- (f) after serial number 52, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely:—
- “53. Khas-khas 5”;
- (g) against serial number 55, in column (2), after entry number 11, the following entry shall be inserted namely:—
- “11 A. Aluminum circles and sheets;
- (h) after serial number 57, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely :—
- “ 57 A Adult diaper and sanitary napkin 5”;
- (i) against serial number 61, in column (2), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—
- “ Nuts, bolts, screws and fasteners that is to say— hinges, nails, rivets, cotter, cotter pins, staples and panel pins, (including their washers)”;
- (j) after serial number 63, the following serial numbers and entries relating thereto shall be inserted, namely :—
- “ 63 A P C C poles 5
- 63 B Photography paper 5 ”;
- (k) in serial number 84 A, for the words “Sabudana Khichadi and Shrikhand”, the words “Sabudana Khichadi, Shrikhand and Khakhara” shall be substituted;
- (ii) for Part-III, the following parts shall be substituted, namely:-

“ Part-III

1. Aviation turbine fuel other than those specified in clause (ii-d) of Section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956), —
 - (i) when sold to aviation companies for fueling at Bhopal and Indore airports 23
 - (ii) when sold to aviation companies for fueling at other airports / airstrips other than Bhopal and Indore 13
2. Raw opium 13
3. Kerosene oil sold through Public Distribution System 5
4. Old or second hand motor vehicle as the State Government may, by notification, specify 1.5

- | | | |
|----|---|-----|
| 5. | Capital goods (other than plant and machinery and motor vehicle), on which tax under the Act has been paid at the time of purchase and no input tax rebate was admissible on such purchase. | 1.5 |
|----|---|-----|

Part- III A

- | | | |
|----|---|------|
| 1. | Diesel
(other than light diesel oil and furnace oil) | 23 |
| 2. | Petrol | 27 |
| 3. | Electrical energy (other than specified in Schedule I) | 5 |
| 4. | Natural gas including compressed natural gas | 13 |
| 5. | Tendu leaves | 25 |
| 6. | Timber | 13”; |

(iii) in Part IV, in column (2), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—

“All other goods, not covered by Schedule-I and any other part of this Schedule.”.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In order to implement the tax proposals contained in part II of speech delivered by the Finance Minister while presenting the budget in the Legislative Assembly for the year 2012-13, and certain other issues that is, to authorize single bench of Appeal Board to hear the case in which assessed tax, interest and/or penalty is up to rupees 1 lac, to provide for refund of excess amount deducted or deposited in case of executor of works contract opting for composition, to increase penalty to discourage the dealers who do not file returns or file returns late, appropriate amendments are proposed in the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002). Opportunity is also being taken to rationalize a few other provisions.

2. Hence this Bill.

BHOPAL:

DATED THE 28th March 2012

RAGHAVJI
Member-in-Charge.